

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

1 / 2020
1-1-2020

मेधराज उर्फ प्रधान पुत्र रामनारायण मीणा निवासी ग्राम-सुरेली तहसील उनियारा
जिला टोंक राज०

-अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार उप तहसील बनेठा जिला- टोक

-रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार बनेठा दिनांक 10-12-2019 पत्रावली
सं० 1782/2019

उपस्थिति : (1) श्री लादूलाल यादव अपीलान्ट
(2) श्री सै० मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 20-1-2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा ने अपने निर्णय दिनांक 10-12-2019 के द्वारा अपीलान्ट को चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1310 रकबा 0.02 है० वाके ग्राम सुरेली पर मकान व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण करने का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने 8/रूपये की पेनल्टी कायम कर 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार बनेठा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा निर्णय से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई ओर न ही मौके का निरीक्षण किया गया। अपीलान्ट को पूर्व में नोटिस जारी किया गया था जिसकी प्राप्ति पर अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर उपस्थित हो चुका था किन्तु नियत तिथि दिनांक 8-11-2019 को न्यायालय के अधीनस्थ कर्मचारी ने अपीलान्ट से कहा कि अभी नायब तहसीलदार साहब नहीं हैं जिनको खोलने एवं अन्य राजकार्य चल रहे हैं जिसमें



जिला कलेक्टर
टोंक




नायब तहसीलदार व्यस्त है, जैसे ही वह आयेंगे हम आपको सूचित कर देंगे। जिस पर अपीलान्त वापस आ गया जिसके उपरान्त कभी भी किसी प्रकार का नोटिस अपीलान्त को उपस्थित होने हेतु जारी नहीं किया गया। ओर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त के खिलाफ एकपक्षीय निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना एक पक्षीय निर्णय पारित करने में गलती की है। अपीलान्त को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार ने विश्वास करके जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त योग्य है। अपीलान्त के अभिभाषक का यह भी कथन है कि अपीलान्त को सर्वप्रथम निर्णय की जानकारी दिनांक 17-12-2019 को प्राप्त हुई, जिस पर उसी दिन नकल प्राप्ति हेतु आवेदन पेश कर दिनांक 18-12-2019 को अपील पूर्ण न्यायशुल्क पर पेश है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 10-12-2019 निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्त के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्त ने चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1310 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम सुरेली तह0 उनियारा मकान व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है। इस भूमि पर अपीलान्त ने पहले भी अतिक्रमण किया था ओर अब पुनः अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को विधिवत नोटिस जारी किया गया था किन्तु अपीलान्त बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्त सार्वजनिक उपयोग की चरागाह भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर तलब किया गया है। नोटिस पर अपीलान्त की विधिवत तामील हुई है। अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्त ने चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1310 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम सुरेली पर मकान व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है ओर वह अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है तथा बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

फलतः अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेटा का निर्णय दिनांक 10-12-2019 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20-1-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टांक

